



हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.08.2024 को थाना देवगांव पुलिस द्वारा चोरी के जेवरात (कीमत लगभग 02 लाख रूपयें) व नकदी के साथ 03 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।

थाना देवगांव, आजमगढ़

चोरी के जेवरात (कीमत लगभग 02 लाख रूपयें) व नकदी के साथ 03 शातिर अपराधी गिरफ्तार।

पूर्व की घटना -

अवगत कराना है कि दिनांक 13.08.2024 को वादी मुकदमा दिनेश गुप्ता पुत्र स्व0 गिरजा गुप्ता निवासी गडौली थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ ने थाना देवगांव पर लिखित तहरीर दी कि वादी मुम्बई में रहता है आज अपने गाँव गडौली आने पर देखा कि दरवाजा का ताला टुटा हुआ है तथा अज्ञात चोरो द्वारा वादी के मकान का ताला तोड़ कर सोने व चाँदी के गहने चोरी कर ली गयी है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 300/24 धारा- 305/331(4) BNS बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया है। जिसकी विवेचना उ0नि0 सुरेश सिंह द्वारा संपादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी की घटना का अनावरण करने व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी देवगांव को निर्देशित किया गया जिसके क्रम में दिनांक 15.08.2024 को उ0नि0 सुरेश सिंह मय हमराह को सूचना मिली कि तीन व्यक्ति पल्सर मोटर साइकिल से गडौली गाँव की तरफ से आ रहे हैं जिनके पास चोरी के गहने है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल गडौली तिराहा से तीन व्यक्तियों अमित मौर्या पुत्र स्व0 चहेटू मौर्या निवासी गडौली थाना देवगांव आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष बताया जिसके पास से 01 मंगल सूत्र पीली धातु, 500 रूपये बरामद हुआ, दूसरे व्यक्ति आकाश तिवारी पुत्र हरिवंश तिवारी निवासी गडौली थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष जिसके जामा तलाशी से 01 अंगूठी पीली धातु तथा एक जोड़ा काड़ा सफेद धातु, 600 रूपया बरामद तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम शिवम तिवारी पुत्र भुपनाथ तिवारी निवासी ताराउमरी थाना गौराबादशाहपुर जिला जौनपुर उम्र 23 वर्ष हाल पता ग्राम गडौली थाना देवगांव आजमगढ़ (हरिवंश तिवारी के घर) बताया जिसके जामा तलाशी से 02 नथूनी, 04 कील पीली धातु तथा पैजनी 02 व 02 जोड़ी पायल सफेद धातु व 800 रूपया बरामद के साथ समय 04.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0स0 300/24 धारा- 305/331(4) BNS थाना देवगांव आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अमित मौर्या पुत्र स्व0 चहेटू मौर्या निवासी गडौली थाना देवगांव आजमगढ़
2. आकाश तिवारी पुत्र हरिवंश तिवारी निवासी गडौली थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
3. शिवम तिवारी पुत्र भुपनाथ तिवारी निवासी ताराउमरी थाना गौराबादशाहपुर जिला जौनपुर हालपता ग्राम गडौली थाना देवगांव आजमगढ़ (हरिवंश तिवारी के घर)

बरामदगी का विवरण- (चोरी के बरामद जेवरात की कीमत लगभग 02 लाख रूपयें)

1. 01 मंगल सूत्र पीली धातु, 01 अंगूठी पीली धातु, एक जोड़ा काड़ा सफेद धातु 500 रूपये
2. 02 नथूनी, 04 कील पीली धातु तथा पैजनी 02 व 02 जोड़ी पायल सफेद धातु
3. 1900/- रूपयें नकद।

आपराधिक इतिहास- (गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों का)

1. मु0अ0सं0 300/2024 धारा 305/331(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 252/2024 धारा 379,411 भादवि थाना देवगांव आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 240/2024 धारा 380,411 भादवि थाना देवगांव आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 250/2024 धारा 379,411 भादवि थाना देवगांव आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 विनय कुमार मिश्र मय हमराह थाना देवगांव आजमगढ़
2. उ0नि0 सुरेश सिंह मय हमराह थाना देवगांव आजमगढ़
3. उ0नि0 गौरव सिंह मय हमराह थाना देवगांव आजमगढ़

